अनिल रतन सरकार और अन्य

बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

अप्रैल 20, 2001

[ए.पी. मिश्रा और उमेश सी. बनर्जी, जे.जे.]

सेवा विधि:

गैर-सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों के वेतनमान का निर्धारण - गैर-शिक्षक कर्मचारियों को वेतनमान स्वीकार करना- गैर-सरकारी महाविद्यालयों में अपीलकर्ताओं प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति-प्रयोगशाला प्रशिक्षकों के रूप में बाद में पुनः पदनाम-ऐसे प्रयोगशाला प्रशिक्षकों को गैर-शिक्षक कर्मचारियों के सदस्य के रूप में माना जा रहा है- शिक्षक कर्मचारी की तरह बर्ताव और शारीरिक प्रशिक्षकों के बराबर वेतनमान के लिए दावा-उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 26/7/94 के आदेश द्वारा दावे को बरकरार रखा- इसके अनुसरण में, राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 26/12/94 जिसमें अपीलकर्ताओं को गैर-सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों के रूप में दर्शाया गया, उन्हें गैर-शिक्षक कर्मचारियों के समूह कर्मचारियों पर लागू वेतनमान प्रदान किया गया था-तर्क यह है कि शारीरिक प्रशिक्षकों के बीच दो अलग-अलग श्रेणियाँ और वेतनमान मौजूद हैं, एक योग्य शारीरिक प्रशिक्षक और दूसरा अयोग्य शारीरिक प्रशिक्षक-अपीलकर्ताओं को योग्य शारीरिक प्रशिक्षकों के बराबर किया जा रहा है-वैधता-अभिनिर्धारित- अयोग्य शारीरिक प्रशिक्षकों के एक अलग श्रेणी के अस्तित्व के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष नहीं है, जिन आवेदकों को शिक्षक का दर्जा दिया गया है, उन्हें संभवतः गैर-शिक्षक पद के वेतनमान की अनुमति नहीं दी जा सकती है-परिपत्र दिनांक

26/12/94 मनमाना एवं उच्चत्तम न्यायालय के आदेश दिनांक 26/7/94 के विपरीत-अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलकर्ता शारीरिक प्रशिक्षकों के समकक्ष शिक्षक के रूप में अपनी स्थिति के अनुसार वेतनमान के हकदार हैं।

अपीलकर्ता गैर-सरकारी संबद्ध महाविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक के रूप में कार्यरत विज्ञान विषय से स्नातक थे। अपने सामान्य कर्तव्यों के अलावा, वे शिक्षकों की सहायता भी करते थे, प्रायोगिक कक्षाओं में छात्रों की मदद करते थे और उन्हें प्रायोगिक कक्षाओं में निर्देश भी देते थे। सरकारी आदेश जारी होने तक सभी प्रयोगशाला सहायकों को शिक्षक कर्मचारी-वर्ग के रूप में माना जाता था, जिसमें गैर-सरकारी संबद्ध महाविद्यालयों के प्रयोगशाला सहायकों को गैर-शिक्षक कर्मचारी के रूप में माना जाता था। उक्त सरकारी आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन दिए गए लेकिन व्यर्थ रहा। इसके बाद, राज्य सरकार ने प्रयोगशाला सहायकों को प्रयोगशाला प्रशिक्षकों के रूप में पुनः नामित किया। हालाँकि, न तो शिक्षक का दर्जा दिया गया और न ही शिक्षक स्थिति के अनुरूप कोई वेतनमान दिया गया। दूसरी ओर, सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत स्नातक प्रयोगशाला सहायकों को प्रदर्शक के रूप में नामित किया गया और उन्हें शिक्षक कर्मचारीयों के सदस्यों के रूप में स्वीकार किया गया।

व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने स्नातक प्रयोगशाला सहायकों को शिक्षक कर्मचारी के रूप में मानने और उन्हें शारीरिक प्रशिक्षकों के बराबर वेतनमान देने के लिए एक रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने उक्त याचिका को स्वीकार कर लिया जिसकी अपील में खंडपीठ ने पृष्टि की। उक्त निर्णयों को संशोधित वेतनमान के भुगतान के संबंध में संशोधन के साथ दिनांक 26/7/94 के आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील में बरकरार रखा गया था।

इस बीच उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के उक्त आदेश के बाद एक सरकारी आदेश जारी किया गया जिसमें स्नातक प्रयोगशाला प्रशिक्षकों को बिना कोई उच्च वेतनमान दिए शिक्षक कर्मचारी-वर्ग का सदस्य घोषित किया गया। इसके बाद, कथित तौर पर उच्चतम न्यायालय के दिनांक 26/7/94 के उक्त आदेश के संदर्भ में राज्य सरकार ने 26/12/94 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें अपीलकर्ताओं को गैर-सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों के रूप में दिखाया गया था, उन्हें वास्तव में गैर-शिक्षक कर्मचारियों से संबंधित समूह बी कर्मचारियों के लिए लागू वेतनमान 1390-2970 रुपये दिया गया था।

दिनांक 26/12/94 के परिपत्र को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और एकल न्यायाधीश ने इसे रद्द कर दिया। व्यथित होकर, राज्य सरकार ने एक अपील की, जिसे उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ ने यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि दिनांक 26/12/94 का सरकारी आदेश मनमाना नहीं कहा जा सकता अथवा उच्चत्तम न्यायालय के दिनांक 26/7/94 के निर्णय के विपरीत है। इसलिए वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की गई है।

अपीलकर्ताओं की ओर से, यह तर्क दिया गया कि यद्यपि उनके पास समान योग्यताएं, अनुभव और समान परिस्थितियां थीं, फिर भी सरकारी महाविद्यालयों के स्नातक प्रयोगशाला सहायकों के मुकाबले उनके साथ भेदभाव किया गया था कि उच्च न्यायालय ने बिना किसी तथ्यात्मक या दस्तावेजी समर्थन के शारीरिक प्रशिक्षकों की दो श्रेणियां रखने के तर्क को स्वीकार करने में बड़ी गलती कर दी थी।

राज्य की ओर से, यह तर्क दिया गया कि शारीरिक प्रशिक्षकों के दो निश्चित वर्ग थे, एक जिसके पास स्नातकोत्तर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या शारीरिक शिक्षा में डिग्री थी और दूसरा अयोग्य शारीरिक प्रशिक्षक थे; योग्य शारीरिक प्रशिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान के अनुसार वेतनमान अर्थात 2200-4000 रुपये दिया गया जो व्याख्याताओं के वेतनमान के समान था। जबिक अयोग्य शारीरिक प्रशिक्षकों को एक अलग निचला वेतनमान अर्थात 1390-2970 रुपये दिया गया था; गैर-सरकारी महाविद्यालयों में स्नातक प्रयोगशाला प्रशिक्षकों को उनकी शिक्षक स्थिति और योग्यता को ध्यान में रखते हुए, कम योग्यता वाले शारीरिक प्रशिक्षकों के बराबर 1390-2970 रुपये का वेतनमान दिया गया था; अपीलकर्ताओं की ओर से विशेष रूप से कहा गया था कि वे व्याख्याता के वेतनमान की मांग नहीं कर रहे थे।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1. अपीलकर्ता स्नातक प्रयोगशाला प्रशिक्षक हैं, उन्हें आगे वर्गीकृत करने का सवाल ही नहीं उठता और न ही उठ सकता है। इस कथन का कोई आधार नहीं है कि शारीरिक प्रशिक्षकों के बीच दो अलग-अलग श्रेणियाँ और वेतनमान मौजूद थे, एक योग्य शारीरिक प्रशिक्षक और दूसरा अयोग्य शारीरिक प्रशिक्षक। यह स्वयं राज्य द्वारा उठाए गए विवादों को नकारता है। उक्त वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, गैर-सरकारी महाविद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षकों को 1390-2970 रुपये वेतनमान वाले शिक्षक कहा जाता है। जबिक शारीरिक प्रशिक्षकों को भी शिक्षक कहा जाता था और वेतनमान "सरकारी महाविद्यालयों के समान" अर्थात 2200-4000 रुपये है। दूसरे, गैर-शिक्षक पदों का संशोधित वेतनमान (ग्रुप बी वेतनमान) 1390-2970 रुपये अंकित किया गया है। इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि जबिक अपीलकर्ताओं को गैर सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों के रूप में दिखाया गया था, वास्तव में उन्हें केवल गैर-शिक्षक कर्मचारियों से संबंधित समूह बी कर्मचारियों पर लागू वेतनमान दिया गया था। किसी अन्य शिक्षक (इस मामले में शारीरिक प्रशिक्षक) के लिए उपलब्ध वेतनमान की निंदा करने का प्रश्न न तो उठता है और न ही उठ सकता है। इस प्रकार, अपीलकर्ता सर्वोच्च न्यायालय के

दिनांक 26/7/94 के आदेश के अनुरूप शिक्षक के रूप में उनकी स्थित के अनुसार शारीरिक प्रशिक्षकों के बराबर वेतनमान के हकदार हैं। [120-सी-डी; 123-डी-ई]

1.2 उच्च न्यायालय ने बिना किसी तथ्यात्मक या दस्तावेजी समर्थन के शारीरिक प्रशिक्षकों की दो श्रेणियां रखने के तर्क को स्वीकार करने में बड़ी गलती की। कहने की जरूरत नहीं है कि इस घटना में शारीरिक प्रशिक्षकों के दो निश्चित श्रेणियों के अस्तित्व के संबंध में प्रतिवादी राज्य के रुख जैसे कुछ दस्तावेजी समर्थन थे, स्पष्ट रूप से दिनांक 26/12/94 के सरकारी आदेश में गलती नहीं पाई जा सकती थी। चूंकि यह इस न्यायालय के दिनांक 26/7/94 के आदेश के अनुरूप होगा। लेकिन कोई तथ्यात्मक समर्थन नहीं होने के कारण, शिक्षक का दर्जा दिए जाने के बाद भी समूह बी का वेतन उपलब्ध कराने का कोई औचित्य नहीं है। शिक्षक का दर्जा प्रदान करना समूह बी के कर्मचारियों के वेतनमान के निर्धारण के विपरीत है क्योंकि सरकारी और गैर-सरकारी महाविद्यालयों के अन्य सभी शिक्षकों को शिक्षकों की श्रेणी में रखा गया है। किसी शिक्षक को संभवतः गैर-शिक्षक पद का वेतनमान नहीं दिया जा सकता। यही बात संदर्भ में विरोधाभासी है। इस प्रकार दिनांक 26/12/94 का परिपत्र शिक्त का एक मनमाना प्रयोग है और इसे किसी भी तरह से तर्कसंगत और भैदभावपूर्ण नहीं माना जा सकता है। (122-जी-एच; 123-ए-डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2906-07/2001

एम.ए.टी. संख्या 1368/1998 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 25.6.99 से।

अपीलकर्ताओं ओर से- ए.के. गांगुली, राणा मुखर्जी और सुमिता मुखर्जी प्रतिवादीगण की ओर से- वीआर रेड्डी, तारा चंद्र शर्मा और राजीव शर्मा

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश बनर्जी के द्वारा दिया गया।

अनुमति दी गई।

वेतनमान के निर्धारण से संबंधित मुद्दा, हालांकि परेशान करने वाला है, समय-समय पर इस न्यायालय के समक्ष रखा जाता है और यह मामला कोई अपवाद नहीं है। गौरतलब है कि, हालांकि, किसी को इस स्तर पर केवल यह ध्यान देना चाहिए कि मामला पहले भी एक बार इस न्यायालय में जा चुका है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह मुद्दा अभी भी कायम है, लेकिन यह इस देश में मुकदमेबाजी का चलन बन गया है।

इस मामले की तथ्यात्मक स्थिति में पश्चिम बंगाल राज्य के विभिन्न गैर-सरकारी महाविद्यालयों के रोजगार में शारीरिक प्रशिक्षक और स्नातक प्रयोगशाला प्रशिक्षक शामिल हैं: हालाँकि, निर्णय के लिए मुख्य मुद्दा वर्तमान में यह है कि क्या याचिकाकर्ताओं को दिया गया वेतनमान कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए परमादेश के रिट के अनुसार है और जैसा कि उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ द्वारा पृष्टि की गई है। इस न्यायालय के निर्णय और दिनांक 26 जुलाई, 1994 के आदेश के अनुसार इसे इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है।

जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस मुद्दे और उसके लिए उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर ध्यान देने से पहले, इस स्तर पर एक संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि सुविधाजनक होगी।

अपीलकर्ता देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विज्ञान स्नातक हैं और उन्हें महाविद्यालयों में प्रयोगशाला सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है और अपने सामान्य कर्तव्यों के अलावा, अपीलकर्ताओं को शिक्षकों की सहायता करना और व्यावहारिक कक्षाओं में छात्रों की मदद करना, छात्रों को निर्देश देना, प्रायोगिक कक्षाएं और प्रायोगिक कक्षाओं में पाठ इकाइयों की तैयारी सिहत प्रदर्शन कार्य करना था। अपीलकर्ताओं के अनुसार इन प्रयोगशाला सहायकों को शिक्षक कर्मचारियों के रूप में माना जाता था और 21 मार्च, 1969 के सरकारी आदेश संख्या 288 शिक्षा (सीएस) के जारी होने तक उन्हें महंगाई भत्ते के सरकारी हिस्से सिहत वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाता था। गैर-सरकारी संबद्ध महाविद्यालयों के प्रयोगशाला सहायकों को गैर-शिक्षक कर्मचारियों के सदस्य के रूप में माना जाता था इस तरह के पुनः पदनाम के प्रभाव का महंगाई भित्ते के भुगतान के संबंध में सीधा प्रभाव पड़ा और स्पष्ट रूप से यह अपीलकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल था, सरकारी आदेश के खिलाफ अभ्यावेदन दिया गया, लेकिन, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अभ्यावेदन इसिलए दिए गए क्योंकि शिक्षक स्थिति को वापस लेना अन्यथा भेदभावपूर्ण था क्योंकि स्नातक प्रयोगशाला सहायकों को प्रयोगशाला कार्य के सामान्य संचालन के अलावा, शिक्षक कार्य भी करना पड़ता था।

तथ्यात्मक विवरण से पता चलता है कि बाद में अगस्त, 1983 में राज्य सरकार ने प्रयोगशाला सहायकों को प्रयोगशाला प्रशिक्षकों के रूप में फिर से नामित किया-इसी आधार पर अपीलों के समर्थन में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री गांगुली ने बहुत कड़ी आलोचना की। उनके अनुसार नामकरण का यह परिवर्तन अन्यथा अर्थहीन था क्योंकि न तो शिक्षकों का दर्जा दिया गया था और न ही शिक्षक स्थिति के अनुरूप कोई वेतनमान दिया गया था। सरकारी अधिसूचना को एक शरारतपूर्ण धोखा और एक छलावा माना गया था बल्कि इसकी कड़ी आलोचना की गई। इसलिए सवाल यह उठता है कि क्या 10 अगस्त, 1983 की सरकारी अधिसूचना में इस तरह की विशेषता का कोई औचित्य था एक संक्षिस प्रश्न के परिणामस्वरूप, इस प्रकार ऐसा आदेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी, क्या नामकरण में परिवर्तन से स्नातक प्रयोगशाला सहायकों

को किसी भी तरह से सहायता मिलेगी? हालाँकि, अधिसूचना को देखने से इसके जारी होने की आवश्यकता के बारे में कोई कारण नहीं पता चलता है, इसके विपरीत अधिसूचना यह स्पष्ट करती है कि वेतन और स्थिति में कोई वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि गैर-शिक्षक कर्मचारी अपरिवर्तित रहेंगे। यह केवल सहायक शब्द है जिसे प्रशिक्षक शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है, लेकिन क्या इससे संबंधित व्यक्तियों को कोई भौतिक लाभ मिलता है? नकारात्मक नहीं हो सकता है। यह इस पृष्ठभूमि में है और अधिसूचना के अवलोकन पर श्री गंग्ली की आलोचना काफी उचित प्रतीत होती है, हालांकि यह बहुत कठोर भाषा में की गई है, लेकिन तथ्यात्मक स्थिति के कारण यदि हम ऐसा कह सकते हैं, तो न्यायसंगत है। संयोगवश, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकारी महाविद्यालयों में काम करने वाले स्नातक प्रयोगशाला सहायकों को निर्देशक का दर्जा और पदनाम दिया गया है और उन्हें शिक्षक कर्मचारियों के सदस्यों के रूप में स्वीकार किया गया है। अपीलकर्ताओं के अनुसार उनके पास समान योग्यताएं, अनुभव आदि हैं, लेकिन समान परिस्थिति होने के बावजूद, पश्चिम बंगाल के प्रायोजित और गैर-सरकारी निजी महाविद्यालयों के स्नातक प्रयोगशाला सहायकों के साथ पश्चिम बंगाल के सरकारी महाविद्यालयों के स्नातक प्रयोगशाला सहायकों के साथ भेदभाव किया जाता है। पिछली रिट याचिका, जो 26 जुलाई, 1994 के इस न्यायालय के आदेश के आधार पर समाप्त हुई, उसमें विश्वविद्यालय अधिनियमों और क़ानूनों की विस्तृत सूची शामिल है जिसमें प्रशिक्षकों को शामिल करने के लिए शिक्षकों को परिभाषित किया गया है।

यह अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं है कि भेदभाव के कार्य के कारण और राज्य के प्रतिवादी से कोई निवारण प्राप्त करने में विफल रहने के कारण इन अपीलकर्ताओं ने कलकता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश से स्नातक प्रयोगशाला सहायकों को विभिन्न विश्वविद्यालय अधिनियम में निहित परिभाषा के अनुसार शिक्षक कर्मचारी के रूप में मानने और उन्हें शारीरिक प्रशिक्षकों के बराबर

वेतन का पैमाना देने के लिए परमादेश की एक रिट जारी करने का अनुरोध किया। 29 जुलाई, 1987 के एक निर्णय और आदेश द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक विस्तृत निर्णय पर परमादेश की एक रिट जारी की, जिसका प्रवर्तनशील भाग यहां नीचे दिया गया है:-

"तदनुसार नियम को आत्यन्तिक बना दिया गया है और राज्य प्रतिवादियों को परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करते हुए आदेश दिया गया है कि स्नातक प्रयोगशाला सहायकों को प्रयोगशाला प्रशिक्षक बतौर शिक्षक कर्मचारी के रूप में के रूप में फिर से नामित किया जाये और उन्हें शारीरिक प्रशिक्षकों के लिए निर्धारित वेतनमान 10 अगस्त, 1983 से सभी बकाया सहित भुगतान किया जावे।"

राज्य सरकार द्वारा की गई अपील के परिणामस्वरूप 15 मई, 1992 के अपीलीय पीठ के फैसले से आदेश की पुष्टि हुई। हालाँकि, पिध्वम बंगाल राज्य ने उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ के फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर इस न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत एक विशेष अनुमित याचिका दायर की और इस न्यायालय ने अंततः 26 जुलाई, 1994 को आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और मामले को मौखिक आदेश के साथ निस्तारण कर दिया। हालाँकि, उसी के प्रासंगिक उद्धरण नीचे दिए गए हैं:-

"उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों को बरकरार रखा।

हमने पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। हमें उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा बरकरार रखे गए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए तर्क और निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार दिखाई नहीं देता हैं।तथापि, हमारा विचार है कि उत्तरदाताओं-याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार संशोधित वेतनमान का भुगतान किया जाए, जो 10 अगस्त, 1983 के बजाय 1 अगस्त, 1987 से प्रभावी होगा।प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए. के. गांगुली ने बहुत निष्पक्षता से कहा है कि उनके मुवक्किल व्याख्याता के वेतनमान की मांग नहीं कर रहे हैं। उनके अनुसार, शारीरिक प्रशिक्षकों का वेतनमान प्रदर्शकों के वेतनमान के बराबर है और यह वह वेतनमान है जिसके लिए उनके मुवक्किल उच्च न्यायालय के फैसले के अंतर्गत हकदार हैं।

उत्तरदाताओं को बकाया राशि का भुगतान दो किश्तों में किया जाएगा, पहली फरवरी 1995 के अंत तक और दूसरी किश्त 31 अगस्त 1995 तक। उपरोक्त संशोधनों के साथ अपील खारिज की जाती है। कोई हर्जा खर्चा नहीं।"

उल्लेखनीय है कि गैर-सरकारी महाविद्यालयों में भी कार्यरत प्रशिक्षकों के एक अन्य वर्ग को शारीरिक प्रशिक्षक कहा जाता था और जहां तक वेतनमान का संबंध है, 2 जुलाई, 1984 से पहले शारीरिक प्रशिक्षक दो श्रेणियों के थे, अर्थात (i) जिनके पास स्नातकोत्तर डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या शारीरिक शिक्षा में डिग्री के रूप में योग्यता थी, वे 550-900 रुपये के वेतनमान के हकदार होंगे; (ii) जिनके पास उपरोक्त योग्यता नहीं थी वे 425-700 रुपये के हकदार थे।

इसके बाद, हालांकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के कारण राज्य सरकार ने अपने आदेश संख्या 888 दिनांक 2 जुलाई, 1984 द्वारा शिक्षक श्रेणी में शारीरिक प्रशिक्षकों के लिए केवल एक वेतनमान निर्धारित किया और यह भी निर्देश दिया कि भविष्य में शारीरिक प्रशिक्षकों की सभी नियुक्तियाँ स्नातकोत्तर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या शारीरिक शिक्षा में डिग्री की योग्यता रखने वालों में से की जायेगी। इस पैराग्राफ में ऊपर देखे गए सरकारी आदेश ने शिक्षक श्रेणी में शारीरिक प्रशिक्षकों के लिए वेतन के मौजूदा पैमाने को संशोधित कर एक समग्र वेतनमान Rs.700-1600 कर दिया और उक्त आदेश का अवलोकन शारीरिक प्रशिक्षकों के लिए केवल एक वेतनमान और शिक्षक स्थिति के संबंध में किसी भी तरह का संदेह नहीं छोड़ता है।

संयोग से, उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्व अपील के लंबित रहने के दौरान सरकार ने एक आदेश संख्या 579 दिनांक 2.5.88 द्वारा संबद्घ विश्वविद्यालयों को गैर-सरकारी महाविद्यालयों के स्नातक प्रयोगशाला प्रशिक्षकों को शिक्षक का दर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया और वास्तव में 27 जुलाई, 1988 के बाद के सरकारी आदेश संख्या 1039 द्वारा स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय द्वारा जारी परमादेश की रिट के अनुसार कोई उच्च वेतनमान दिए बिना, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, स्नातक प्रयोगशाला प्रशिक्षकों को शिक्षक कर्मचारी के सदस्य के रूप में घोषित किया गया था। संयोगवश, शिक्षक स्थिति वाले शारीरिक प्रशिक्षकों का वेतनमान सरकारी आदेश संख्या 517 दिनांक 30.4.1990 द्वारा 1986 से 700-1600 रुपये से 2200-4000 रुपये तक संशोधित किया गया था।

यह इस अवसर पर एक और तथ्यात्मक पुनर्कथन इस प्रभाव के लिए सुविधाजनक हो सकता है कि इस न्यायालय ने 26 जुलाई, 1994 के अपने फैसले के माध्यम से विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए तर्कों और निष्कर्षों को बरकरार रखा, जैसा कि खण्ड पीठ द्वारा पुष्टि की गई थी, लेकिन वेतन के संशोधित पैमाने को लागू करने की तारीख के संबंध में राहत 10 अगस्त, 1983 के बजाय 1 अगस्त, 1987 से संशोधित किया गया था। राज्य द्वारा कभी भी (कम से कम इस न्यायालय के

समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों से प्रतीत होता है) यह तर्क नहीं दिया गया कि शिक्षक का दर्जा रखने वाले शारीरिक प्रशिक्षकों को 2 जुलाई, 1984 के बाद एक से अधिक वेतनमान प्राप्त थे। (ऐसा कोई विवाद नहीं उठाया जा सका क्योंकि शिक्षक का दर्जा रखने वाले शारीरिक प्रशिक्षकों के लिए केवल एक ही वेतनमान था)। हालाँकि, मामले के इस पहलू को राज्य सरकार की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री रेड्डी ने बह्त दृढ़ता से नकार दिया। श्री रेड़डी ने तर्क दिया कि शारीरिक प्रशिक्षकों के दो निश्चित वर्ग हैं, एक के पास स्नातकोत्तर डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या शारीरिक शिक्षा में डिग्री है और दुसरा कम योग्यता वाले शारीरिक प्रशिक्षक हैं, जिनका वेतनमान 425-700 रुपये है, जिसे 25 अप्रैल, 1980 के सरकारी आदेश संख्या 589 में भी मान्यता दी गई है। श्री रेड़डी ने तर्क दिया कि इसे बाद के सरकारी आदेश द्वारा कभी भी रद्द नहीं किया गया है जबिक योग्य शारीरिक प्रशिक्षकों ने 1.4.1980 के प्रभाव से रुपये 700-1600 के वेतनमान की अनुमति दी, कम योग्य शारीरिक प्रशिक्षकों का वेतनमान उसी तारीख को 425-700 पर बना रहा जब तक कि इसे जनवरी, 1986 में संशोधित नहीं किया गया, जब कम योग्य शारीरिक प्रशिक्षकों को आरओपीए नियम, 1996 के संदर्भ में रुपये 1390-2970 का वेतनमान दिया गया था। श्री रेड्डी ने तर्क दिया कि योग्य शारीरिक प्रशिक्षकों को, यू. जी. सी. वेतनमान के संदर्भ में 1.1.1996 के बाद से, 8000-13500 रुपये का वेतनमान दिया गया है और उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया कि कम-योग्य शारीरिक प्रशिक्षकों के लिए वेतन के एक अलग पैमाने का अस्तित्व है इस प्रकार कम-योग्य और योग्य शारीरिक प्रशिक्षकों के बीच एक बड़ा अंतर पैदा किया जा रहा है बाद वाले को यू. जी. सी. पैमाने और पूर्व वाले को आरओपीए, पश्चिम बंगाल के नियमों के संदर्भ द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है श्री रेड्डी ने तर्क दिया कि शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/प्रमाण पत्र या डिग्री की योग्यता रखने वाले शारीरिक प्रशिक्षकों को यू. जी. सी. वेतनमान की पेशकश की गई है, श्री रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि इस न्यायालय द्वारा पहले किए गए अभिलेख में अलग-अलग वेतनमान वाले कम योग्यता वाले शारीरिक प्रशिक्षकों का अस्तित्व छिपा हुआ है और सुविधा के लिए एक बार फिर नीचे पुनरावृत्ति की गई है पहले का आदेश इस प्रकार था:-

प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए. के. गांगुली ने बहुत निष्पक्षता से कहा है कि उनके मुवक्किल व्याख्याता के वेतनमान की मांग नहीं कर रहे हैं। उनके अनुसार, शारीरिक प्रशिक्षकों का वेतनमान प्रदर्शकों के वेतनमान के बराबर है, जिसका उनके मुवक्किल माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के संदर्भ में हकदार हैं। (जोर दिया गया)

इस आधार पर श्री रेड्डी ने तर्क दिया कि प्रयोगशाला प्रशिक्षकों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का उस समय दिया गया बयान जब शारीरिक प्रशिक्षक का वेतनमान व्याख्याता के वेतनमान के बराबर है और प्रदर्शक का वेतनमान शारीरिक प्रशिक्षक (अर्हता प्राप्त) के समान नहीं है। इस प्रकार दोनों में से किसी भी श्रेणी के समकक्ष स्नातक प्रयोगशाला प्रशिक्षकों के संबंध में अवलोकन का पालन नहीं किया जा सकता है। 1973 और उसके बाद के यूजीसी वेतनमान के क्रियान्वयन में, यह अनिवार्य है कि जो शिक्षक पद 1.1.1973 से पहले अस्तित्व में थे वे केवल यू. जी. सी. वेतनमान और राज्य के नियमों के तहत अन्य के दायरे में आएंगे।

श्री रेड्डी ने तर्क दिया कि शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/प्रमाण पत्र या डिग्री की योग्यता रखने वाले शारीरिक प्रशिक्षकों को 1.4.1980 से 31.12.1985 तक रुपये 700-1600 का वेतनमान दिया गया था। उक्त वेतनमान को 1.1.1986 से संशोधित करके रुपये 2200-4000/- कर दिया गया है, जिसे यू. जी. सी. द्वारा संशोधित करके रुपये 8000-13,500/- कर दिया गया है, जो व्याख्याताओं के

वेतनमान भी था और यह कर्मचारियों की ओर से उनके वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा से विशेष रूप से कहा गया था कि वे व्याख्याता के वेतनमान की मांग नहीं कर रहे हैं जो कि तात्विक समय पर रूपये 2200-4000/- है।

आगे यह तर्क दिया गया है कि इस न्यायालय में स्नातक प्रयोगशाला प्रशिक्षकों की ओर से विद्वान विश्व वकील द्वारा की गई टिप्पणी का राज्य सरकार ने उनकी शिक्षक स्थिति और योग्यता को ध्यान में रखते हुए रुपये 1390-2970/- के वेतनमान की अनुमित देने में पालन किया है।

जबिक श्री रेड्डी की दलीलें पहले अवसर पर इस न्यायालय के समक्ष श्री गांगुली के बयान के सामने आकर्षक लगती हैं। लेकिन शारीरिक प्रशिक्षकों के दो अलग-अलग वर्गों के अस्तित्व के तथ्य, जिनमें से एक योग्य और दूसरा अयोग्य शारीरिक प्रशिक्षक है, पर विचार किया जाना चाहिए और इस मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स और अभिलेख को देखते हुए कुछ सावधानी के साथ ध्यान दिया जाना चाहिए जो इस न्यायालय में भी उपलब्ध है। इस समय कार्यवाही के कुछ अभिलेखों का उल्लेख करना उपयोगी हो सकता है।

(i) उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश इस प्रकार अभिलिखित किया गया:

"24.6.1997 को श्री बिहानी ने शारीरिक प्रशिक्षकों के लिए दो वेतनमानों के संबंध में उक्त स्थिति स्पष्ट करने के लिए पिधम बंगाल सरकार, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा पुष्टि किए गए हलफनामें को दाखिल करने के लिए समय की प्रार्थना की। उक्त दो वेतनमानों का उल्लेख करते हुए कोई अधिसूचना नहीं अथवा आदेश प्रस्तुत किया जा

सकेगा। इसके विपरीत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन में केवल एक ही वेतनमान का उल्लेख किया गया है।"

(ii) इसके बाद 16 जनवरी, 1997 को विद्वान एकल न्यायाधीश ने आगे यह अभिलिखित किया:

ऐसी परिस्थितियों में, यह स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर उक्त शपथ पत्र की पुष्टि लोक शिक्षक के सहायक निदेशक कल्याण कुमार मंडल ने की है कि शारीरिक प्रशिक्षक की एक और श्रेणी है जिसके पास B.A./B.Sc./B.Com. योग्यता और वेतनमान रुपये 1390-2970 है।

तदनुसार, लोक शिक्षक के सहायक निर्देशक, उक्त कल्याण कुमार मंडल को सभी अभिलेखों के साथ व्यक्तिगत रूप से 22.1.1997 पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है और बताया जाता है कि किस आधार पर उन्होंने शारीरिक प्रशिक्षक की दो श्रेणियों का उल्लेख करते हुए 31.8.95 पर इस तरह का शपथ पत्र दायर किया है। प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुनवाई की अगली तारीख पर सभी अभिलेख पेश करने का भी निर्देश दिया जाता है।

यह ध्यान दिया जाए कि पिश्वम बंगाल राज्य ने निर्देश के अनुसार एक से अधिक अवसरों पर प्रासंगिक सरकारी अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा था, लेकिन ऐसे कोई दस्तावेज कारणवश प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जिसके लिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने 27 मार्च, 1998 को रिट याचिका का निपटारा करते समय योग्य और कम योग्य शारीरिक प्रशिक्षकों के अस्तित्व के संबंध में उठाए गए और जोर दिए गए

तर्कों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के बारे में बिना किसी अनिश्चित शब्दों में अवलोकन किया था। इसी तरह की दलीलें राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष उठाई गई थीं, लेकिन बिना किसी दस्तावेजी समर्थन के और जब इस न्यायालय ने नोटिसों के लौटने के बाद विशेष अनुमित याचिकाओं पर सुनवाई की और अपीलकर्ताओं की विशिष्ट दलीलों के कारण इसमें शारीरिक प्रशिक्षकों के दो समूहों के अस्तित्व को नकार दिया गया। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने निर्देश प्राप्त करने और पूरक शपथ पत्र दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा। इस न्यायालय ने आदेश की तारीख से इस तरह का शपथ पत्र दायर करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया और मामले को तीन सप्ताह के बाद (10 अप्रैल, 2000 के आदेश के अनुसार) सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

(iii) अभिलेख दर्शाते हैं कि इस न्यायालय ने 18 अगस्त, 2000 के एक और आदेश द्वारा एक और अवसर की पेशकश की और आदेश के कुछ परिणाम प्रतीत होते हैं, इसलिए, उक्त आदेश का विस्तार नीचे दिया गया है:-

श्री ए.के. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील गांगुली ने हमें विद्वान एकल न्यायाधीश दिनांक 29.7.87 (पृष्ठ संख्या 96) और खंडपीठ दिनांक 15.5.1992 (पृष्ठ 99) और इस न्यायालय के पहले के फैसले से अवगत कराया है। दिनांक 26.7.94 (पृष्ठ 112 पर) और यह भी बताया कि सरकारी आदेश दिनांक 2.7.84 (पृष्ठ 345) द्वारा, शारीरिक प्रशिक्षकों को 700-1600 रुपये के एकल वेतनमान में लाया गया है (जिसे तब से रुपये 2200-4000 के रूप में संशोधित किया गया है) और जहां तक शारीरिक प्रशिक्षकों का संबंध है, याचिकाकर्ता स्नातक और गैर-स्नातक के बीच किसी भी

अंतर के बिना उक्त वेतनमान के हकदार हैं, 1984 के उपरोक्त आदेश ने इस तरह के किसी भी अंतर को हटा दिया था।

दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान विरष्ठ अधिवक्ता श्री केंके वेणुगोपाल ने हमें उच्च न्यायालय में सरकार द्वारा दायर एक हलफनामे का हवाला दिया और बताया कि शारीरिक प्रशिक्षकों के लिए भी, इन दो श्रेणियों के बीच अभी भी अंतर था। हालाँकि, विद्वान विरष्ठ अधिवक्ता को यह बताया गया कि जवाबी हलफनामे में यह बयान प्रथम दृष्ट्या सरकार के दिनांकित 2.7.1984 के पहले के आदेश के विपरीत है, जिसके तहत स्नातक शारीरिक प्रशिक्षकों और गैर-स्नातक शारीरिक प्रशिक्षकों के बीच अंतर हटा दिया गया था। इस स्तर पर, श्री के. के. वेणुगोपाल का कहना है कि वह शारीरिक प्रशिक्षकों के वेतनमान से संबंधित सभी नियम/परिपत्र/आदेश दाखिल करेंगे और स्थिति स्पष्ट करेंगे।

यदि राज्य सरकार अभी भी स्नातक और गैर-स्नातकों के संबंध में शारीरिक प्रशिक्षकों के बीच वेतनमान में अंतर बनाए हुए है, तो वह नियमों/आदेशों/परिपत्रों का हवाला देते हुए एक हलफनामा दाखिल कर सकती है।"

हालाँकि सरकारी आदेश के अभिलेखों ने इस तरह के विशिष्ट निर्देशों के बजाय इस न्यायालय के समक्ष भी दिन की रोशनी नहीं देखी है क्या यह केवल एक लोप है दुर्भाग्य से प्रासंगिक तथ्य इसे अन्यथा दर्शाते हैं।

(iv) 28 फरवरी 2001 को इस न्यायालय ने फिर से निम्नानुसार निर्देश दिया:-

"प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान विरष्ठ अधिवक्ता श्री वी. आर. रेड्डी चाहते हैं कि पृष्ठ 343 पर निर्दिष्ट शारीरिक प्रशिक्षकों के दो वर्गों में वर्गीकरण को अदालत के समक्ष रखने के लिए समय दिया जाए. जो बाद में भी जारी रहा, जिसमें पुनरीक्षण वेतनमान भी शामिल है, इसलिए वे एक सारणीबद्ध रूप में दूसरी श्रेणी को रखना चाहते हैं, जिस पर वे वर्तमान याचिकाकर्ताओं को रखना चाहते हैं। ऐसा करते समय उसे प्रासंगिक नियमों और जी.ओ. का भी उल्लेख करना चाहिए। जिसके तहत वही जारी है। वह इसके लिए दो सप्ताह का समय मांगते है। इन मामलों को दो सप्ताह के बाद आंशिक सुनवाई के रूप में सूचीबद्ध करें जब यह पीठ अगली बार सुनवाई करे।"

इस आधार पर, 20 मार्च, 2001 को न्यायालय में एक चार्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसे हालांकि किसी भी तरह से राज्य के इस तर्क के समर्थन में नहीं कहा जा सकता है कि शारीरिक प्रशिक्षकों के बीच दो अलग-अलग श्रेणियाँ और वेतनमान मौजूद थे, जिनमें से एक योग्य शारीरिक प्रशिक्षक और दूसरा अयोग्य शारीरिक प्रशिक्षक था।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट में पैराग्राफ 8.16 के तहत एक श्रेणी के शारीरिक प्रशिक्षक के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है।वार्षिक प्रतिवेदन में सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों का विवरण नीचे दिया गया है:

8.16 सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षक

क्रम संख्या	शिक्षकों की श्रेणी (मूल)	वेतनमान 1.1.1986 से लागू
5	प्रदर्शक	रुपये 1740-3000
4	शारीरिक प्रशिक्षक	रुपये 2200-4000
3	व्याख्याता	रुपये 2200-4000

2	प्रोफेसर/उप प्राचार्य	रुपये 3700-5700
1	प्राचार्य	रुपये 4500-7300

पैराग्राफ 8.21 गैर-सरकारी महाविद्यालयों के प्रशासन का विवरण निम्नानुसार हैः गैर-सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों निम्नलिखित श्रेणियों हैं (मूल):

- 1. प्रयोगशाला प्रशिक्षक 1390-2970 रुपये
- 2. प्रदर्शक
- 3. शारीरिक प्रशिक्षक (सरकारी महाविद्यालयों के समान)
- 4. व्याख्याता

5. प्राचार्य

हालाँकि, यह स्वयं राज्य द्वारा उठाए गए तर्कों को नकारता है। गैर-सरकारी महाविद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षकों को शिक्षक कहा जाता है, वेतनमान 1390-2970 रुपये है, जबिक शारीरिक प्रशिक्षकों को भी शिक्षक कहा जाता है और वेतनमान सरकारी महाविद्यालयों के समान अर्थात 2200-4000 रुपये है। दूसरे पैराग्राफ 8.24 में गैरिशक्षण पदों का संशोधित वेतनमान (ग्रुप बी वेतनमान) 1390-2970 रुपये बताया गया है।इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि जबिक याचिकाकर्ताओं को गैर-सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों के रूप में दिखाया गया था, उन्हें वास्तव में केवल गैर-शिक्षक कर्मचारियों के समूह बी कर्मचारियों के लिए लागू वेतनमान दिया गया था और इस प्रकार याचिकाकर्ताओं को गैर-शिक्षक कर्मचारियों के समूह बी कर्मचारियों के लिए लागू वेतनमान दिया गया था

हालाँकि, इस मुद्दे पर, श्री गांगुली ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने बिना किसी तथ्यात्मक या दस्तावेजी समर्थन के शारीरिक प्रशिक्षकों के दो वर्ग रखने के तर्क को स्वीकार करने में एक बड़ी गलती की थी। श्री गांगुली की आलोचना में कुछ ताकत प्रतीत होती है क्योंकि वास्तव में प्रतिवादी की ओर से तर्क के अनुरूप कोई भी दस्तावेजी समर्थन प्रस्तुत करने में पूरी तरह से विफलता थी जैसा कि ऊपर देखा गया है स्पष्ट रूप से अभिलेख उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए तर्कों और निष्कर्षों के विपरीत हैं।

इस न्यायालय के आदेश का तात्पर्य खोजने के लिए बहुत दूर नहीं है उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा समर्थित विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा किए गए तर्क और निष्कर्ष का एक निश्चित अनुमोदन है और परिवर्तन केवल 1983 से 1987 तक है। श्री गंगुली के बयान पर भरोसा किया गया, जैसा कि इस न्यायालय के पहले के आदेश में अभिलिखित किया गया था कि उनके मुवक्किल व्याख्याता के वेतनमान की मांग नहीं कर रहे हैं और उन्हें खुशी होगी अगर उन्हें शारीरिक प्रशिक्षकों का वेतनमान उपलब्ध कराया जाता है, तो वास्तव में स्थिति नहीं बदलती है।माना जाता है कि, व्याख्याता शारीरिक प्रशिक्षकों से एक श्रेणी ऊपर होते हैं क्योंकि प्रोफेसर/उप-प्राचार्य व्याख्याता से एक श्रेणी ऊपर होते हैं।

हालाँकि, जैसा कि पहले देखा गया है, इस न्यायालय के आदेश के संदर्भ में, राज्य सरकार ने 26 दिसंबर, 1994 को स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के आदेश के प्रस्तावित अनुपालन में एक परिपत्र जारी किया है हालाँकि, आइए परिपत्र की जांच करें और इस न्यायालय के पहले के आदेश के अनुपालन के संबंध में स्थिति का स्वयं आकलन करें। परिपत्र इस प्रकार है:- "इन परिस्थितियों में, राज्यपाल सहर्ष आदेश देते हैं कि गैर-सरकारी महाविद्यालयों के सभी स्नातक प्रयोगशाला प्रशिक्षकों के वेतनमान को संशोधित कर 1300-45-1615-55-2056-66-2445-2970/- 1 अगस्त, 1987 से प्रभावी कर दिया जाए और उनके वेतनमान में संशोधन के कारण शामिल बकाया राशि का भुगतान ऊपर बताए गए तरीके से किया जाए।

राज्यपाल को यह आदेश देते हुए खुशी हो रही है कि गैर-सरकारी महाविद्यालयों के स्नातक प्रयोगशाला प्रशिक्षक को शिक्षक का दर्जा जारी रहेगा जो उन्हे जीओ संख्या 1030-Edn.सीएस दिनांक 27.7.1988 में दिया गया है।"

हालाँकि इस परिपत्र को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष चुनौती दी गई है, जिन्होंने रिट याचिकाकर्ताओं और अपीलकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार करने पर इसे रद्द करने की कृपा की थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया कि याचिकाकर्ता स्नातक प्रयोगशाला प्रशिक्षक हैं, उन्हें आगे वर्गीकृत करने का सवाल ही नहीं उठता है और न ही उठ सकता है और जैसा कि ऊपर देखा गया है, वार्षिक प्रतिवेदन पर भरोसा करते हुए परिपत्र को खारिज कर दिया और रद्द कर दिया। हालाँकि, राज्य सरकार व्यथित होकर अपीलीय न्यायालय के समक्ष गई और अपीलीय पीठ ने अपील स्वीकार कर ली और राय दी कि 26 दिसंबर, 1994 के सरकारी आदेश को मनमाना या इस न्यायालय के निर्णय के विपरीत नहीं कहा जा सकता है। चूंकि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्नातक प्रयोगशाला प्रशिक्षकों को शिक्षक का दर्जा मिलता रहेगा। हालाँकि, उच्च न्यायालय इस न्यायालय के आदेश के संदर्भ में वेतनमान के निर्धारण के मामले में शारीरिक प्रशिक्षकों की भूमिका की सराहना करने में विफल

रहा है और इस संबंध में इस पीठ के समक्ष भी एक निश्चित बयान दिया गया है कि शारीरिक प्रशिक्षकों की दो निश्चित श्रेणियां मौजूद हैं, एक योग्य और दूसरा अयोग्य, लेकिन इसके लिए कोई तथ्यात्मक समर्थन नहीं है। आश्वर्य की बात है कि इस न्यायालय के आदेश का आधार उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है और इस प्रकार उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से एक त्रुटि में पड़ गया है। कहने की जरूरत नहीं है कि इस घटना में कुछ दस्तावेजी समर्थन था। शारीरिक प्रशिक्षकों के दो निश्चित श्रेणियों के अस्तित्व के संबंध में प्रत्यर्थी-राज्य के रुख में स्पष्ट रूप से दिसंबर, 1994 में जारी सरकारी आदेश को दोष नहीं पाया जा सकता था क्योंकि यह इस न्यायालय के आदेश के अनुरूप था। लेकिन इसलिए कोई तथ्यात्मक समर्थन नहीं है, हम उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ द्वारा बरकरार रखे गए शिक्षक का दर्जा प्रदान करने के बाद भी ग्रुप बी वेतन उपलब्ध कराने की औचित्य के संबंध में श्री रेड़डी की दलीलों के साथ अपनी सहमति दर्ज करने की स्थिति में नहीं हैं। शिक्षक का दर्जा प्रदान करना समूह बी के कर्मचारियों के वेतनमान के निर्धारण के विपरीत है क्योंकि सरकारी और गैर-सरकारी महाविद्यालयों के अन्य सभी शिक्षकों को शिक्षकों की श्रेणी में रखा गया है। एक शिक्षक को संभवतः एक गैर-शिक्षक पद के वेतनमान की अनुमति नहीं दी जा सकती है वही शब्दों में विरोधाभास है और हमें इसमें विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।वेतनमान के निर्धारण का मानदंड संबंधित व्यक्ति की नियक्ति पर निर्भर करता है, यदि नियुक्ति एक शिक्षक पद पर है, तो जाहिर है कि कोई व्यक्ति एक शिक्षक के रूप में वेतनमान तय करने की उम्मीद करता है, न कि कर्मचारियों के गैर-शिक्षक सदस्य के रूप में। स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय ने इस परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे पर विचार नहीं किया है और इस प्रकार स्पष्ट रूप से एक शिक्षक को गैर-शिक्षक वेतनमान के साथ वर्गीकृत करने में त्रुटि हुई है। परिपत्र स्पष्ट रूप से गैर-सरकारी महाविद्यालयों के स्नातक प्रयोगशाला प्रशिक्षकों को शिक्षक की स्थिति जारी रखने के लिए अधिकृत

करता है, लेकिन वितीय लाभ की निंदा करता है! क्या यह शक्तियों का मनमाना प्रयोग नहीं होगा या इसे किसी भी तरह से तर्कसंगत और अविवेक पूर्ण होने का सुझाव दिया जा सकता है। इस न्यायालय ने पहले के अवसर पर अपीलीय पीठ द्वारा स्वीकार की गई पूर्व रिट याचिका में विद्वान एकल न्यायाधीश के तर्कों को स्पष्ट रूप से बरकरार रखा था और इस न्यायालय के इस निष्कर्ष के मद्देनजर वेतनमान को कम करने का सवाल उठाया गया था जो अन्यथा किसी अन्य शिक्षक के लिए उपलब्ध है। (इस मामले में शारीरिक प्रशिक्षक) इस न्यायालय के पहले के आदेश के कारण ऐसा नहीं होता है और न ही हो सकता है। प्रशासनिक साक्ष्य के अभाव में दिये गए बयान न्यायिक आदेशों के दायरे में आने वाले क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

उपरोक्त के मद्देनजर ये अपीलें सफल होती हैं और इस प्रकार स्वीकार की जाती है, उच्च न्यायालय की अपीलीय पीठ का आदेश रद्द कर दिया जाता है। विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश बरकरार रखा जाता है। जैसा कि इस न्यायालय ने 26 जुलाई, 1994 के पहले के फैसले में निर्देशित किया था, संशोधन के कारण लाभ 1 अगस्त, 1987 से उपलब्ध कराये जाएंगे। हर्जे खर्चे के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एमपी

अपील स्वीकार की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक, विनोद कुमार उज्जैनिया द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।